

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली शुक्रवार, फरवरी 26, 1982/फल्गुन 7, 1903
No. 64] NEW DELHI, FRIDAY FEBRUARY 26, 1982/PHALGUNA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आवेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1982

सा. का. नि. 80(अ).—भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण, वनस्पति
तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4 के उपखंड (1) और खण्ड 4ख के
उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत परकार के नागरिक
पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं. सा.का.नि. 717(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1980
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश की गारणी में, मद 1 के धरन्तुक में, स्तंभ (1) में "70 प्रतिशत

(सत्तर प्रतिशत)" अंक, चिह्न, कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर "60 प्रतिशत (साठ प्रतिशत)" अंक चिह्न, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

टिप्पणी :—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड

(1) तारीख 26 दिसम्बर, 1980 में प्रकाशित मूल आदेश संख्या मा. का. नि. 717(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1980 निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया है :—

(1) आदेश सं. 505(अ), तारीख 2-9-1981।

(2) आदेश सं. 568(अ), तारीख 30-10-1981।

[संख्या 9-वी. पी. (5)/80]

ए. आर. बंद्योपाध्याय, भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 25th February, 1982

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 and sub-clause (1) of clause 4B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following Order further to amend the Order of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies No. GSR 717(E), dated the 26th December, 1980, namely :—

In the said Order, in the Table, in the proviso to item 1, in column (1), for the figures, sign, brackets and words "70% (seventy per cent)", the figures, sign, brackets and words "60% (sixty per cent)", shall be substituted.

Note : Principal Order published vide GSR, No. 717(E) dated the 26th December, 1980, Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1) dated the 26th December, 1980, subsequently amended by :

(i) Order No. 505(E) dated 2-9-1981.

(ii) Order No. 568(E) dated 30-10-1981.

[No. 9-VP(5)/80]

A. R. BANDYOPADHYAY,
Vegetable Oil Products Controller for India.